भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

डॉ. सी. अनुपा तिर्की

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शारा माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 'महिलाओं कि वर्तमान शक्ति एवं स्तिथि की शर्त ही नहीं बल्कि सूचक भी है, तथा महिलाओं के अधिकारों एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भी है। महिलाओं के लिए निर्वाचन या राजनीतिक दलों, सामाजिक आन्दलोनो या प्रदर्शनो जैसे ओपचारिक राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेना पर्याप्त नहीं है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश के विभाजन के साथ हुए खून खराबे तथा एक बड़ी जनसंख्या के विस्थापन के बाद 1950 तथा 1960 के दशक में धर्म निरपेक्ष, बहुलवादी, बहुधार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से समन्वित राजनीतिकव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इस वातावरण तथा संवैधानिक गारंटी से कुछ महिलाएं लाभान्वित हुई। मध्यम वर्ग की बहुत सी महिलाओं को विभिन्न सेवाओं एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त करने के अवसर मिले।

मुख्य शब्दः आरक्षण, संसद, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी विधान मंडल, पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कानून, अधिकार।

प्रस्तावना

20वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए संघर्ष ने भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों के लिए संघर्ष के तथाकथित ष्पहले चरण की शुरुआत को चिह्नित किया। महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से महिलाओं ने 1916 में पहली बार ष्होम रूल आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। इन घटनाक्रमों में महिला नेताओं में एनी बेसेंट (जो भारतीय पब्लिक कांग्रेस की नेता भी बनी) जैसी प्रमुख महिलाएँ थीं, जिनके बारे में मार्गरेट कजिन्स ने उपयुक्त टिप्पणी कीरू श्भारतीय महिलाओं की जागरूक एकता का उदय। अन्य उल्लेखनीय महिलाओं में लेडी फिरोज मेहता, अरुणा आसफ अली, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर और अन्य शामिल हैं। बाद में स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1939 में श्री नेहरू द्वारा नियुक्त नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिकाष पर एक उप–समिति की रिपोर्ट स्वतंत्रता से पहले की अवधि का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसने मुख्य रूप से तर्क दिया कि महिलाओं को व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें पुरुषों के साथ समान आधार पर राजनीतिक, नागरिक और कानूनी अधिकार, सामाजिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता और विकास का हिस्सा मिलना चाहिए।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति के अनुसार, राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का नेतृत्व महिलाओं की राजनीतिक समानता के लिए दो प्राथमिक उत्प्रेरक थे। इन दोनों के परिणामस्वरूप उन्हें अपने घरों की सुरक्षा से बाहर निकालकर सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया, जिससे उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। महिलाओं की शिक्षा और उन्नीसवीं सदी के सुधार आंदोलन सामाजिक संगठन की नींव के रूप में परिवार को मजबूत करने और घर में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने से अधिक चिंतित थे। महिलाओं के साथ स्थिति को बढ़ाने का मतलब सिर्फ उन्हें संपत्ति का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह का विकल्प, बाल विवाह का उन्मूलन और स्कूली शिक्षा का अधिकार देना माना जाता था। इसके अतिरिक्त, यह उच्च और मध्यम वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित था और अभिजात्य दृ ष्टिकोण पर आधारित था।

संसद/राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण –

विश्व में महिला सांसदों की औसत संख्या 18.4 प्रतिशत है। भारतीय संसद में महिला सदस्यों की संख्या 10.7 प्रतिशत है, जो 33 प्रतिशत महिलाओं के उस 33 प्रतिशत संख्या से कहीं दूर है. जिसे कोई भी सार्थक निर्णय लेने के लिए आवश्यक माना गया है। महिलाओं को लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सदनों की सदस्य संख्या का एक–तिहाई आरक्षण देने वाला 81 वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितम्बर 1996 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में जो आम आरक्षण पहले ही दिया हुआ है, उसमें भी इन समुदायों की महिलाओं के लिए उसी प्रकार स्थान आरक्षित किये जाए। यह विधेयक एक संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया जिसने विस्तृत सलाह के बाद 9 दिसम्बर 1996 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। किन्तु इस विधेयक को विचारार्थ किये जाने से पूर्व ग्यारहवीं लोक सभा भंग हो गयी और परिणामस्वरूप यह विधेयक व्यंगत हो गया।

73 वां एवं 74 वां संशोधन तथा राज्य अधिनियम –

अप्रैल 1993 में 73 वां संषोधन लागू हुआ, जिसके लिए संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया एवं 74 वें संविधान संषोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9–क जोड़ा गया, जिससे स्थानीय स्वषासन, उसका दाँचा, उसकी शक्तियां तथा कार्यों का सुदृढिकरण किया गया और उन्हें संवैधानिक बताया गया, तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। लोकतंत्र के त्रिस्तरीय सशक्तिकरण से भारत में प्रजातान्त्रिक पद्धति को बलमिला और इस तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ। संशोधनों द्वारा पंचायतों की कार्य विधियों को भी कारगर बनाया गया। इस सम्बन्ध में इसमें एक राज्य चुनाव आयोग, एक वित आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और पंचायतों की अवधि उनके यथा समय चुनाव और उनके निलम्बन की शर्ते निर्धारित की गई। शक्तियों तथा कार्यों के स्थानांतरण की बात कही गयी है और राज्यों से कहा गया कि 29 क्षेत्रों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करके धीरे–धीरे विकेन्द्रियकरण करे। इसके अतिरिक्त, 74 वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीयशासन अधिनियम, जिसे नगर पालिका अधिनियम कहा जाता है, के तहत एकजिला योजना समिति का प्रावधान है। यह समिति पंचायत तथा म्युनिसिपल क्षेत्र, दोनों के लिए मिली–जुली योजना समिति है. प्रत्येक जिला योजना समिति जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य के विधानमण्डल को इन समितियों के गठन की विधि और इनके पदों को भरने, अध्यक्षों के कार्यों और उनके निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. महिलाओं के राजनीतिक समर्थन में बाधा डालने वाली सामाजिक मान्यताओं की पहचान करना तथा महिलाओं के राजनीतिक सहयोग की जानकारी की समान जांच करना।

2. ग्रामीण और शहरी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की तुलना करना तथा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति में महिलाओं के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना।

3. पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का तुलनात्मक और गहन विश्लेषण करना।

4. राजनीतिक गतिशील चक्र में महिलाओं के सहयोग की डिग्री का पता लगाना तथा निर्णयों में उनकी प्रगति की डिग्री तथा वैचारिक समूहों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली आवश्यकताओं की बारीकी से वैज्ञानिक जांच करना।

5. विषय का विश्लेषण और तुलना करते हुए प्रासंगिक सुझावों का पता लगाना।

शोध प्रविधि –

शोध नियमों के अनुसार प्रस्तुत शोध सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मकएवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुये शोध लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री विभिन्न राष्ट्रीय

एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों इंटरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा प्राचीन संदर्भ ग्रन्थों से एकत्र किया जाना अनुमन्य है। इन संदर्भ आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, आत्मलेखों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों एवं राजनेताओं के भाषण इत्यादि से लेखन सामग्री संग्रहित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की उन्नति के लिए औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, और यह महिलाओं की मौजूदा शक्ति और स्थिति का संकेत भी है। चुनाव राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और प्रदर्शनों जैसी औपचारिक राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त नहीं है। प्रशासन, कार्यकारी, न्यायिक और स्थानीय सरकारी संस्थाओं, साथ ही चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के एक अध्ययन के अनुसार, यह सच नहीं है कि महिलाएं हमेशा अन्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखेंगी। केवल संख्या ही पर्याप्त नहीं है, न ही राजनीति में बड़े पैमाने पर, औपचारिक या अनौपचारिक भागीदारी लक्ष्य है। इसी तरह यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि विधायी मुद्दों में मध्यस्थता का लक्ष्य क्या है? क्या यह महिलाओं के बारे में एक सरल शुरुआती चरण के रूप में सोचना है या क्या यह ताकत की मौजूदा श्रृंखला में कुशलतापूर्वक प्रवेश करना है? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की सीमा, स्तर और प्रकृति, महिलाओं के अधिकारों और जीवन पर उनका प्रभाव और महत्व, और उनके द्वारा उठाए गए नारीवादी मुद्दे, कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें सटीक आकलन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ –

1ण महिलाएं तथा शासन राज्य की पुनर्कल्पना एक रिपोर्ट (एकत्र) सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट

2ण आल्टरनेटिव्स फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 9.

3ण डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 281.

4ण डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 283.

5ण गोपालन सरला, पूर्वाक, पृ. 283.

6ण अलका आर्य, जनसत्ता, 18 अक्टूबर, 2008, प्रकाशित दिल्ली. पू. 6.

7ण राज्य सभा में 1960–99 में सदस्यों का परिचय लार्डिस, सचिवालय के संदर्भ विभाग द्वारा संकलित.

8ण डॉ. सरला गोपालन, जेन्डर एंड गवर्नेस, महबूब उल हक मानव विकासकेन्द्र, दक्षिण एशिया में मानव विकास, 2000 के लिए तैयार पत्रक.

9ण भारत में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2001, पृ. 101.

10ण महिलाऐं तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, पूर्वाक, पृ. 55.

11ण डॉ. सरला गोपालन, समानता की और अपूर्ण कार्य, पूर्वाक, पृ. 289.